jktdh; vk|kfxd if’k{k.k lLFkku c.kh] rglhy cMlj] ftyk gehjiij]
fgekpy in’k d fuf/k y[kk dk vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu
vof/k 1-4-06 l 31-3-11

Hkkx&,d

1 xr vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu%&

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्रवाई की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गई तथा जिन पैरों पर कार्रवाई सन्तोषजनक पाई गई, उनका स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्नलिखित प्रकार से हैः–

vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 7@02 l 3@06

पैरा–4	निर्णीत	(ब्याज की ₹2429/–रोकड़ वही में दर्ज कर ली गई है)
पैरा–5	निर्णीत	(₹75800/–का चालान प्रधानाचार्य आई0टी0आई0 रैल द्वारा जमा करवाने की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–6 (i)	अनिर्णीत	
पैरा–6 (ii)	अनिर्णीत	
पैरा–6 (iii)	अनिर्णीत	
पैरा–7 (i)	निर्णीत	(संयुक्त भोजनालय रसीद की सत्यापना उपरान्त)
पैरा–7 (ii)	निर्णीत	(जलपान व्यय बिल की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–7 (iii)	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टि व वितरण की पुष्टि उपरान्त)
पैरा–8 (क)	अनिर्णीत	
पैरा–8 (ख)	अनिर्णीत	
पैरा–9	निर्णीत	(अनुपालना की पुष्टि उपरान्त)

Hkkx&nk

2 orleku vd{k.k%&

राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान बणी के वर्तमान निधि लेखों का अंकेक्षण श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुषील कुमार आर्टिकल असिस्टैंन्ट द्वारा दिनांक 26.7.11 से 3.8.11 तक संस्थान में किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है। विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया है।

vk;%& 12/06, 1/08, 12/08, 8/09, 8/10

0;;%& 12/06, 7/07, 6/08, 8/09, 6/10

इसके अतिरिक्त यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन संस्थान के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया है। संस्थान द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व विस्तृत जांच हेतु चयनित उपरोक्त उल्लेखित मासों तक ही सीमित है।

orZeku vad{k.k ,oa fujh{k.k vof/k ds nkSjku fuEufyf[kr iz/kkukpk;Z@vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh laLFkku esa dk;ZjÙk jgs gS%&

Øe la[;k	vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh dk uke	vof/k
1	श्री दविन्द्र सिंह	1.4.06 से 20.6.07
2	श्री एस0के0 लखनपाल	20.6.07 से 1.8.08
3	श्री मोहिन्द्र सिंह	1.8.08 से 29.7.09
4	श्री जे0सी0 विमल	30.7.09 से 30.11.10
5	श्री मोहिन्द्र सिंह	1.12.10 से लगातार

3 vad{k.k 'kqYd%&

संस्थान के वर्तमान निधि लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण का अंकेक्षण षुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹8800/–आंका गया है, जिसे प्रधानाचार्य द्वारा के0सी0सी0वी0 बणी के ड्राफ्ट संख्या 814145, दिनांक 9.8.11 के माध्यम से निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के नाम जमा करवा दिया गया है।

4 foÙkh; fLFkfr%&

राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान बणी की अवधि 1.4.06 से 31.3.11 तक विभिन्न निधियों की वित्तीय स्थिति व दिनांक 31.3.11 को विभिन्न निधियों के अन्तिम षेषों का एफ0डी0आर0 सहित विवरण बैंक खाता संख्या सहित परिषिष्ट–"क" के पृष्ठ 1 से 8 पर उल्लेखित एवं संलग्न है।

5 jkT; LÙkjh; [kydn ifr;kfxrk l lEcfU/kr vk; o 0;; dk C;kjk Nk= dY;k.k fuf/k dh jkdM ogh e nt u djuk ,o lEcf/kr vfHkys[k vdk{k.k e iLrr u djuk&

माह 6/10 में दिनांक 5.6.10 से 10.6.10 तक के दौरान राज्य स्तरीय स्पोर्टस मीट औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान बणी में सम्पन्न हुई है। उक्त राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेष के औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थानों के प्रतिभागियों के भाग लेने हेतु पंजीकरण षुल्क, खेल षुल्क, जलपान व भोजनालय षुल्क एवं अन्य खर्चों के रूप में प्राप्त राषि तथा व्यय राषि से सम्बंधित कोई भी अभिलेख वर्तमान अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त उल्लेखित षीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण आय तथा व्यय का ब्यौरा जो कि छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में दर्ज किया जाना अपेक्षित था वह छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में दर्ज नहीं है, जो कि अनियमित है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई करके तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। उक्त प्रकरण निदेषक, तकनीकी षिक्षा निदेषालय के विषेष ध्यानार्थ आवष्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

6 ₹33000@&dh fudklh l lEcf/kr vfHkys[k iLrr u djus ckjs&

छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही की जांच करने पर पाया गया कि दिनांक 8.6.10 को स्वयं हेतु काटे गए चैक संख्या 513830 के अन्तर्गत ₹33000/–की निकासी छात्र कल्याण निधि के बैंक खाते से की गई है। उक्त निकासी लड़के व लड़कियों की खेलकूद प्रतियोगिता हेतु की गई दर्षाई है। उक्त राषि से सम्बंधित कोई भी बिल/वाऊचर जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अपेक्षित अभिलेख यथाषीध्र सत्यापनार्थ अंकेक्षण को प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा सम्पूर्ण राषि की वसूली उत्तरदायी कर्मचारी से जानी अपेक्षित है।

7 ₹132200@&d pkyku iLrr u djuk&

दिनांक 30.11.06 को औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान नादौन से 25 छात्र व 4 छात्राऐं कुल 29 प्रषिक्षणार्थी व दिनांक 3.1.08 का 25 छात्र व 7 छात्राएं कुल 32 प्रषिक्षणार्थी, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान बणी को स्थानातरित किए गए है। इन प्रषिक्षणार्थियों से निम्नविवरणानुसार षैक्षणिक षुल्क व प्रवेष षुल्क के रूप में आई0टी0आई0 नादौन द्वारा ₹132200/–ली गई थी।

Ø0 l0	fnukad	'k{kf.kd 'kYd dh nj	i0o'k 'kYd dh nj	Nk=ka dh l0	jkf'k
1	30.11.06	2400	–	25 लड़के	60000
		–	200	29 प्रषिक्षणार्थी (25 लड़के+4 लड़कियां)	5800
2	3.1.08	2400	–	25 लड़के	60000
		–	200	32 प्रषिक्षणार्थी (25 लड़के+7 लड़कियां)	6400
				dqy ;kx	₹132200

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्रषिक्षणार्थियों के हस्तांतरण के उपरान्त भी ₹132200/– आई0टी0आई0 नादौन द्वारा आई0टी0आई0 बणी को हस्तांतरित नहीं की गई जिनके कारण स्पष्ट किए जाएं क्योंकि यह राषि चालान द्वारा सरकारी कोष मे जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। यदि यह राषि आई0टी0आई0 नादौन द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाई गई है तो भी उससे सम्बंधित चालान की प्रतिलिपि आई0टी0आई0 नादौन से प्राप्त करके पुटि/सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए व भविष्य में इस तरह के मामलों में चालानों की सत्यापित छाया प्रतियां प्राप्त करके अभिलेख में रखी जानी सुनिष्चित की जाए।

8 'kqYd] 'k{kf.kd 'kqYd d s :i es olwyh xbZ jkf'k dks ljdkjh dks"k es nsjh ls tek djokus ckjs%&

जांच के दौरान पाया गया कि विभिन्न ट्रेड़ों के अन्तर्गत प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से षुल्क, षैक्षणिक षुल्क के रूप में प्राप्त की गई राषि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवा कर कई–2 सप्ताह तक हस्तगत रखकर उसका अस्थाई दुरूपयोग किया गया है। नियमानुसार सरकारी राषि को वसूली के अगले दिन व अगले दिन अवकाष होने की स्थिति में उससे अगले दिन सरकारी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है। अतः षुल्क, षैक्षणिक षुल्क के रूप में वसूली गई राषि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवाकर कई–2 सप्ताह तक हस्तगत रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। षुल्क, षैक्षणिक षुल्क के रूप में वसूली गई राषि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवा कर कई–2 सप्ताह हस्तिगत रखने के कुछ उदाहरण निमनलिखित हैः–

Ø0 l0	'kYd o 'k{kf.kd 'kYd olwyh dh frfFk	olwyh xbZ jkf'k	ljdkjh dks"k esa tek djokus dh frfFk	ftrus fnu nsjh ls tek djokbZ
1	3.8.09	19200	25.8.09	21 दिन
2	4.8.09	50800	25.8.09	20 दिन
3	16.8.10	4100	28.8.10	11 दिन

इसके अतिरिक्त विभिन्न ट्रेडों के अन्तर्गत प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे प्रषिक्षणार्थियों से निम्नविवरणानुसार दिनांक 14.7.10 से 17.7.10 तक षुल्क, षैक्षणिक षुल्क के रूप में वसूली गई राषि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवा कर बचत खाता संख्या 37002661 में जमा करवाने के बाद दिनांक 28.8.10 को सरकारी कोष में जमा करवाया गया है। अतः सरकारी राषि को वसूली के अगले दिन सरकारी कोष में जमा न करवा कर बचत खाता संख्या 37002661 में जमा करवा कर दिनांक 28.8.10 को सरकारी कोष में जमा करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

Ø0 l0	'kYd] 'k{kf.kd 'kYd olwyh dh frfFk	olwyh xbZ jkf'k	ljdkjh dks"k esa tek djokus dh frfFk	ftrus fnu nsjh ls tek djokbZ
1	14.7.2010	200	28.8.10	44 दिन
2	15.7.2010	29400	28.8.10	43 दिन
3	16.7.2010	15400	28.8.10	42 दिन
4	17.7.2010	13000	28.8.10	41 दिन

9 izos'k 'kYd dh :i esa izkIr ₹200@&dks ljdkjh dks"k esa tek u djokus ckjsa&

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 12.11.07 को रसीद संख्या 000454 द्वारा नीलम सुपुत्री श्री ज्ञान चन्द से प्रवेष षुल्क के रूप में प्राप्त ₹200/-सरकारी कोष में जमा न करवा कर छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई गई है। अतः प्रवेष षुल्क के रूप में प्राप्त ₹200/-छात्र कल्याण निधि से निकलवा कर सरकारी कोष में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 vU; 'kh"kdk d vUrxr ikIr vk; ,o O;; dk Nk= dY;k.k fuf/k dh jkdM ogh e xyr y[kkdu dju ckj&

दिनांक 17.1.07 को ₹6000/-जिला सैनिक कल्याण बोर्ड हमीरपुर से एक्समैन आश्रितों के प्रषिक्षणार्थियों को छात्रवृति बांटने हेतु आई0टी0आई0 बणी में प्राप्त हुई, जिसे दिनांक 17.1.07 छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज किया गया है व दिनांक 6.3.07 को यह राषि 5 छात्रों को बांटी गई दर्षाकर छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही के व्यय पक्ष में भी दर्ज की गई है। छात्र कल्याण निधि से सम्बंधित आय व व्यय न होने के बावजूद भी छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में आय व व्यय दर्षाना लेखांकन के नियमों के अन्तर्गत अनियमित है। उक्त अनियमितता के कारण वितीय स्थिति में सम्मिलित/दर्षाई गए आय व व्यय के आंकड़ें वास्तविक आंकड़ों की स्थिति को परिलक्षित नहीं करते है। अतः अन्य षीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त आय को छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही के आय पक्ष में दर्ज करने व तत्पष्चात इस आय के विरूद्ध किए गए व्यय को छात्र कल्याण निधि को रोकड़ वही में व्यय पक्ष में दर्षाने के कारण स्पष्ट किये जाएं व भविष्य में लेखांकन की पद्धति के अनुसार ही आंकड़ें दर्ज किए जाएं तथा छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में केवल छात्र कल्याण निधि से सम्बंधित आय/व्यय ही दर्ज किया जाना सुनिष्चित किया जाए। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के सन्दर्भ में विभिन्न उद्देष्यों हेतु प्राप्त आय एवं व्यय जिसे छात्र कल्याण निधि की रोकड़ वही में दर्ज किया गया है के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैः-

Ø0 l0	'kh"kd	frfFk	foHkkx dk uke tgk l jkf'k ikIr gbZ g	Nk= dY;k.k fuf/k dh jkdM ogh e vk; i{k e ntZ dju dh frfFk	Nk= dY;k.k fuf/k dh jkdM ogh e O;; i{k e ntZ dju dh frfFk
1	परिश्रमिक	24.4.07	तकनीकी षिक्षा बोर्ड धर्मषाला	24.4.07	3.5.07
2	परिश्रमिक	17.12.07	तकनीकी षिक्षा बोर्ड धर्मषाला	17.12.07	20.12.07

11 Nk= dY;k.k fuf/k l fctyh d fcyk dk xyr Hkxrku&

जांच के दौरान पाया गया कि माह 3/07 में दिनांक 6.3.07 को ₹3741/-व 29.3.07 को ₹3357/-कुल ₹7098/-का भुगतान छात्र कल्याण निधि से औद्योगिक प्रषिक्षण

संस्थान बणी के बिजली बिलों की अदायगी हेतु हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड, उपमण्डल मैहरे, तहसील बड़सर को किया गया है। बिजली के बिलों का भुगतान छात्र कल्याण निधि पर उचित एवं वैध प्रभार नहीं है। नियमानुसार औद्योगिक संस्थान बणी के बिजली के बिलों का व्यय, कार्यालय व्यय षीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त बजट से किया जाना अपेक्षित है। अतः इस प्रकार व्यय की गई सम्पूर्ण राषि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करने उपरान्त यह राषि छात्र कल्याण निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

12 vkb0Vh0vkb0 f'keyk l ₹10200@&dh jlhn ikIr u djuk%&

पत्र संख्या– एस0टी0वी0 (आई0टी0) पषि0–कैष–2001–3644 दिनांक 18.1.07 की अनुपालना में आई0टी0आई0 षिमला को माह 7/07 में दिनांक 3.7.07 को षुल्क एवं निधियों के रूप में 4 प्रषिक्षणार्थियों के ₹2550/–प्रति प्रषिक्षणार्थी की दर से ₹10200/– आई0टी0आई0 बणी से आई0टी0आई0 षिमला को छात्र कल्याण निधि से भेजी गई दर्षाई गई है लेकिन उक्त राषि से सम्बंधित रसीदें आई0टी0आई0 षिमला से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसे सम्बंधित आई0टी0आई0 से प्राप्त करके सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

13 vfu;fer :i l ifrHkfr jkf'k ykVk, tku d lUnHk e%&

जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 11.8.09 को ₹500/–प्रति छात्र की दर से 41 छात्रों को संस्थान प्रतिभूति व दिनांक 2.8.10 को ₹500/–प्रति छात्र की दर से 41 छात्रों को संस्थान प्रतिभूति की कुल राषि ₹41000/–(₹20500+₹20500) वापिस की गई दर्षाई है परन्तु प्रषिक्षणार्थियों द्वारा उक्त संस्थान प्रतिभूति वापिस लेने हेतु आवेदन पत्र नहीं दिए है अपितु संस्थान जमानत राषि वापिस करते समय प्रषिक्षणार्थियों के जो अवेदन पत्र संलग्न किए है वह सभी आवेदन पत्र संस्थान जमानत राषि वापिस लेने से सम्बंधित न होकर भारमुक्त प्रमाण पत्र लेने हेतु दिए गए है। अतः भारमुक्त प्रमाण पत्र देने हेतु दिए गए प्रषिक्षणार्थियों के आवदेन पत्रों को संस्थान प्रतिभूति वापिस लेने का आवेदन पत्र मानकर संस्थान जमानत राषि के रूप में भुगतान वापिस लौटाई गई ₹41000/–का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा मूल आवेदन अर्थात छात्रों द्वारा संस्थान प्रतिभूति वापिस लेने की मांग किए बगैर ही संस्थान प्रतिभूति वापिस किया दर्षाना तथ्यों सहित नियमानुसार उचित ठहराया जाए अन्यथा सम्पूर्ण राषि की प्रतिपूर्ति सम्बंधित उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी से की जानी अपेक्षित है।

14 ₹8909@&d fcy@okmpjk dk vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh }kjk lR;kfir ,o Hkxrku grq ikfjr u djuk&^

माह 4/08 में दिनांक 26.4.08 को ₹8909/—श्री दुर्गा दास, अनुदेषक वैल्डर व संजीव कुमार, अनुदेषक कोपा को लड़कों की द्वितीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता जो कि दिनांक 27.4.08 से 30.4.08 व लडकियों की खेलकूद प्रतियोगिता जो कि दिनांक 30.4.08 से 3.5.08 तक के दौरान आई0टी0आई0 नादौन (रैल) में सम्पन्न हुई, के दौरान प्रतिभागियों को भाग लेने हेतु दिए गए, जिसमे से उनके निम्नलिखित व्यय किए गए दर्षाए गए हैः—

¼i½ yMdk dh [kydn ifr;kfxrk ij 0;;

(i)	मैस प्रभार	1800(10 प्रतिभागी, ₹60 प्रतिदिन की दर 3 दिन हेतु)
(ii)	बस किराया	633
(iii)	दवाइयां	485
(iv)	जलपान व्यय	610
(v)	पंजीकरण षुल्क	1500
		₹5028

¼ii½ yMfd;k dh [kydn ifr;kfxrk ij 0;;%&

(i)	बस किराया	506
(ii)	जलपान व्यय	488
(iii)	मैस प्रभार	1440
		₹2434

¼iii½ ell tl d0,l0 cuiky bUMLVh;y dkiksj'ku] gehjij d fcy l[;k 288 fnukd 21-4-08 d vUrxr fuEu fooj.kkuqlkj [kjhn x, lkeku ij 0;;%&

Ø0l0	en dk uke	ek=k	nj	eY;
1	बॉलीबॉल	2	425	850
2	पम्प साईकल	1	145	145
				₹995

¼iv½ elt v'kkd vkVl] egj d fcy l[;k 258 fnukd 25-4-08 d vUrxr fuEu fooj.kkuqlkj [kjhn x, leku ij 0;;%&

Ø0l0	en dk uke	ek=k	nj	eY;
1	बैनर (कपड़ा)	1½ मीटर	–	200
2	बैनर (कपड़ा)	1½ मीटर	–	200
				₹400

ukV%& 'k"k ₹52@&Nk= dY;k.k fuf/k e tek djok nh gA

उक्त क्रम संख्या (1) से (4) पर उल्लेखित विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत किए गए व्यय को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा न तो भुगतान हेतु पारित किया है व न ही इन भुगतानों को सत्यापित किया है जिसके कारण स्पष्ट किये जाएं तथा उक्त सभी वाऊचरों को आहरण एवं वितरण अधिकारी से भुगतान हेतु पारित एवं सत्यापित करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त क्रम संख्या 3 व 4 पर उल्लेखित सामान की स्टॉक प्रविष्टियॉ भी सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर में नहीं की गई। अतः अपेक्षित स्टॉक प्रविष्टियॉ सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 ₹12059@&d Vd lV ,o iyf;x fdV dk lHkkfor nq:i;kx%&

माह 6/08 में बिल संख्या 2060 दिनांक 26.4.08 द्वारा प्रजापति हौजरी उद्योग, बिलासपुर को ₹12059/–का भुगतान छात्र कल्याण निधि से निम्नलिखित सामान खरीदने पर किया गया दर्षाया गया हैः–

Ø0l0	en dk uke	ek=k	nj	eY;
1	ट्रेक सूट वि प्रिंट्रि	20	437	8740
2	पलेयिंग किट	20	150	3000
3	सूट प्रिंटिग	20	10	200
				11940
			oV 1%	119
				₹12059

उपरोक्त बिल की जांच करने पर निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गई है जिनका निराकरण किया जाए।

¼i½ उक्त क्रय करने से पूर्व निविदा आमन्त्रित करने से सम्बन्धित डिस्पैच नम्बर व दिनांक उल्लेखित नहीं है, फलस्वरूप इस तथ्य की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी कि यह क्रय अपेक्षित औपचारिकताऐं पूर्ण करके ही किया गया है अथवा नहीं।

¼ii½ उक्त खरीदे गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियॉ यद्यपि स्टॉक रजिस्टर में दर्ज है तथापि समान के वितरण के सम्बंध में उपरोक्त उल्लेखित ₹12059/—के ट्रेक सूट एवं पलेयिंग किट "बांट दिए गए" लिखकर स्टॉक से खारिज कर दिए गए है व षेष षून्य दर्षाया गया है। नियमानुसार उक्त ट्रेक सूट व पलेयिंग किट खेल कूद प्रतियोगिताओं के दौरान ही जारी किए जाने अपेक्षित थे व प्रतियोगिता समापन उपरान्त उक्त सामान छात्रों से वापिस लिये जाने अपेक्षित थे। अतः दर्षाए गए वितरण को नियमानुसार उचित ठहराया जाए।

¼iii½ उक्त बिल आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पारित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उक्त सामान क्रय करने से सम्बंधित स्वीकृति पत्र भी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए।

16 vfxze jftLVj rS;kj u djuk&

जांच के दौरान पाया गया कि अवधि 1.4.06 से 31.3.11 तक के दौरान छात्र कल्याण निधि से विभिन्न प्रयोजनों हेतु जैसे खूलकूद प्रतियोगिताओं इत्यादि हेतु अग्रिम दिए गए है लेकिन अग्रिम रजिस्टर तैयार नहीं किया है। अतः उक्त अवधि का अग्रिम रजिस्टर तैयार न करने के कारण स्पष्ट किये जाऍ व तुरन्त प्रभाव से अवधि 1.4.06 से 31.3.11 का अग्रिम रजिस्टर तैयार किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण मे प्रस्तुत किया जाए।

17 LFkkbZ fuos'k jftLVj rS;kj u djuk&

जांच के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान सावधि जमा योजना के अन्तर्गत निवेषित राषि से सम्बंधित स्थाई निवेष रजिस्टर तैयार नहीं किया है। अतः उक्त अवधि का स्थाई निवेष रजिस्टर तैयार न करने के कारण स्पष्ट किये जाऍ व तुरन्त प्रभाव से स्थाई निवेष रजिस्टर तैयार किया जाए व सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

18 HkkSfrd lR;kiu u djuk&

जांच के दौरान पाया गया कि औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, बणी में अवधि 1.4.06 से 31.3.11 के दौरान छात्र कल्याण निधियों से खरीदे गए स्थाई व अस्थाई सामान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया है। नियमानुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करने उपरान्त छात्र कल्याण निधियों के स्टोर व स्टॉक में पड़े षेष सामान का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। अतः भौतिक सत्यापन न करने के कारण स्पष्ट किये जाएं व भविष्य में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में भौतिक सत्यापन करवाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

19 y/kq vkifÙk foojf.kdk& यह अलग से जारी नहीं की गई है।

20 fu"d"kZ& लेखों के रख रखाव में सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0) एच(2)सी(15)xi(vi) 98/03 खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i`thd`r

1. प्रधानाचार्य, औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान बणी, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिषीघ्र इस विभाग को भेजना सुनिष्चित करें।
2. सचिव तकनीकी षिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष सरकार षिमला–171002
3. निदेषक तकनीकी षिक्षा एवं व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेष)
4. श्री राज कुमार अ0अ0 द्वारा

सहायक निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.